# अध्याय-1 अवलोकन



#### अध्याय 1

#### अवलोकन

### 1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16<sup>वाँ</sup> सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। 31 मार्च 2022 तक राज्य में वृहत खनिजों के 373 खदानें, लघु खनिजों के 3,572 खदानें तथा वृहत एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खदानें हैं।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 भाग 'क' में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 17.11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2022 में 3.90 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) और राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. क्रमशः ₹ 3,63,085 करोड़ और ₹ 93,670 था।

# 1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिर्वतन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, दि्तीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती है। देश की तुलना में झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का वार्षिक वृद्धि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक का रूझान तालिका 1.1 में दिया गया हैं।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रूझान

(₹ करोड में)

					( 1.(15 -1)
वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,70,90,042	1,88,86,957	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.51	6.29	-1.36	19.51
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.21	13.30	5.06	-1.27	14.51

. स्रोतः आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

जैसा कि तालिका 1.1 में देखा जा सकता है, राज्य का स.रा.घ.उ. में विकास दर में 2017-18 से 2021-22 के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। वर्तमान वर्ष के दौरान झारखण्ड राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर राष्ट्रीय स.घ.उ. की वृद्धि दर से काफी कम थी।

# 1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान


चार्ट 1.1 वर्ष 2017-18 और 2021-22 में राज्य का स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान को दर्शाता है। स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र का था। हालांकि, उद्योग क्षेत्र का योगदान 2017-18 की तुलना में 2021-22 के दौरान घटा।

45 40 35 30 年 25 上版 20 17.00 17.90 (上版 15 10 5 0 季啊, वानिकी इत्यादि उद्योग सेवाएँ

**2017-18 2021-22** 

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान (2017-18 और 2021-22)

स्रोतः आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड



चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार वृद्धि

स्रोतः आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

जैसा कि **चार्ट** 1.2 में दर्शाया गया है, स.रा.घ.उ. में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया, जबिक 2021-22 के दौरान कृषि, वानिकी आदि के योगदान में उल्लेखनीय कमी (2020-21 में 30.58 के विरूद्ध 11.94 प्रतिशत) दर्ज की गई। 2019-20 में कृषि, वानिकी और उद्योग, 2020-21 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के स.रा.घ.उ. के योगदान में महत्वपूर्ण कमी के लिए कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

#### 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तृत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव (वाउचर), चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

 पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सिहत अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकडे;
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 16 जून 2022 को प्रवेश सम्मेलन हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 18 अगस्त 2022 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (22.11.2022) को भेजा गया था। जनवरी 2023 तक जवाब प्रतिक्षित था।

## 1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित हैः

अध्याय - 1	अवलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 2	राज्य सरकार के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्च्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017-18 से 2021-22 की अविध के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेन-देन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

#### अध्याय - 5

#### सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा.सा.क्षे.उ.) शब्द में वे सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक है।

#### 1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

इस प्रतिवेदन के **अध्याय- 2** में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

# 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

# 2. राज्य की आकस्किता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

# 3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार

के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

वार्षिक वित्तीय विवरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह "वार्षिक वित्तीय विवरण" मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अन्दान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

# प्रजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थीपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वस्ती।

प्ँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

लेन-देन की आकृति वर्गीकरण सी.जी.ए. द्वारा कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (४-अंकीय) एल.एम.एम.एच उप-कार्य उप प्रम्ख शीर्ष (2-अंकीय) \* में मानकीकृत कार्यक्रम लघ् शीर्ष (3-अंकीय) उप शीर्ष (2-अंकीय) राज्यों को योजना निर्णय उप योजना विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय) स्वतंत्रता आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

तालिका: 1.2: सरकारी लेखे की वर्गीकरण प्रणाली

\*म्ख्य और लघ् शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सिन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु, इत्यादि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन चार्ट 1.3 में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे परिशिष्ट 1.1 भाग ग में दिये गए है।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना सरकारी लेखे लोक लेखा आकस्मिकता निधि समेकित निधि सरकार इसकी ट्रस्टी होती है अप्रत्याशित व्यय हेत् सार्वजनिक व्यय हेत् वित्त प्राप्तियाँ व्यय राजस्व पूँजीगत व्यय राजस्व व्यय पूँजीगत प्राप्तियाँ सरकारी विभागों एवं सेवाओं के परिसम्पत्तियों का प्राप्तियाँ कर, कर-भिन्न निर्माण जैसे सामान्य संचालन के लिए व्यय, ऋण ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व, सहायता पर ब्याज भ्गतान, सब्सिडी इत्यादि। परियोजना, गैर ऋण अन्दान, यह परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं आधारभूत संरचना प्राप्तियाँ केंद्रीय कर करता। इत्यादि लोक लेखा प्राप्तियाँ लोक लेखा भ्गतान लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, लघ् बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, ऋण ऋण इत्यादि की प्राप्तियाँ इत्यादि का भ्गतान

#### बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत है।

# 1.4.1 वित्त का आश्चित्र

निम्न तालिका वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.3: बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2021-22)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2021-22)
1	कर राजस्व	36,592	45,315		108.18	13.50
(i)	स्वयं कर राजस्व	16,880	23,265	21,290	91.51	5.86
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	19,712	22,050	27,734	125.78	7.64
2	गैर-कर राजस्व	7,564	13,500	10,031	74.30	2.76
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	11,994	17,892	10,667	59.62	2.94
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	56,150	76,707	69,722	90.89	19.20
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	70	1,292	1,845.00	0.36
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	लोक ऋण	13,547	14,500	9,840	67.86	2.71
8	प्ँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	13,596	14,570	11,132	76.40	3.07
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	69,746	91,277	80,854	88.58	22.27
10	राजस्व व्यय	59,264	75,755	62,778	82.87	17.29
11	ब्याज भुगतान	5,790	5,646	6,286	111.34	1.73
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान	6,370	10,466	5,359	51.20	1.48
13	पूँजीगत व्यय	8,466	9,661	9,377	97.06	2.58
14	ऋण एवं अग्रिम	3,380	1,572	1,463	93.07	0.40
15	कुल व्यय (10+13+14)	71,110	86,988	73,618	84.63	20.28
<b>1</b> 6	राजस्व आधिक्य(+)/ घाटा (-) (4-10)	-3,114	952	6,944	729.41	1.91
<b>1</b> 7	राजकोषीय आधिक्य (+)/ घाटा (-) {15-(4+5+6)}	-14,911	-10,211	-2,604	25.50	-0.72
18	प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-) (17-11)	-9,121	-4,565	-3,682	-80.66	1.01

2021-22 के दौरान, वास्तिवक राजस्व प्राप्तियों (13,572 करोड़) पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक थी। यह मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्तियों और केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था। भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान 2020-21 में ₹ 11,993.41 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,327 करोड़ की कमी पाई गई। 2021-22 के दौरान, कर राजस्व, गैरकर राजस्व और केंद्रीय कर हस्तांतरण में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से क्रमश: ₹ 4,410 करोड़, ₹ 2,467 करोड़ तथा ₹ 8,022 करोड़ की वृद्धि हुई।

जी.एस.टी. मुआवजा जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,525.63 करोड़ का जी.एस.टी. मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य के लिए बिना कोई पुनर्भुगतान दायित्व के ₹ 2,484.41 करोड़ का एक के बाद एक ऋण प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,943.94 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹ 2,604.21 करोड़ का राजकोषीय घाटा को जी.एस.टी मुआवजे के बदले ₹ 2,484.41 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2021-22 के दौरान, 2020-21 में पाँच प्रतिशत राजस्व व्यय की वृद्धि के मुकाबले राजस्व व्यय की सीमांत वृद्धि (छ: प्रतिशत) थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष (2020-21 में ₹ 13,546.58 करोड़ के विरूद्ध 2021-22 में ₹ 9,839.87 करोड़) की तुलना में कम उधार लेना पड़ा। 2021-22 के दौरान, ऊर्जा कम्पनियों से ₹ 1,246 करोड़ एवं सरकारी कर्मचारियों से ₹ 45.73 करोड़ उनको दिए गए ऋण से वसूली की गई। तालिका 1.4 2017-18 से 2021-22 तक राजस्व तथा पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियों तथा व्यय के रूझाण को इंगित करती है।

तालिका 1.4: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रा	जस्व	राजस्व प्राप्ति के	पूँजी	गत	पूंजीगत प्राप्ति के
	प्राप्तियाँ	व्यय	सापेक्ष राजस्व व्यय	प्राप्तियाँ	व्यय	सापेक्ष पूंजीगत व्यय
			का प्रतिशत			का प्रतिशत
2017-18	52,756	50,952	96.58	8,204	11,953	145.70
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	97.09	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23

- तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत अधिकतम (105.55 प्रतिशत) था, जो 2021-22 में घटकर 90.04 प्रतिशत हो गया जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 में अत्यधिक राजस्व अधिशेष हुआ।
- जबिक, पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2020-21 में 62.27 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान 84.23 प्रतिशत बढ़ गया, 2017-18 से 2019-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों से पूँजीगत व्यय प्रतिशत अत्यंत कम रहा।
- विगत वर्षों के दौरान राज्य द्वारा पिरसम्पती निर्माण तथा आधार भूत संरचना को अधिक प्रमुखता देना पूँजीगत व्यय को 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय के बढ़ने का संकेत था। मुख्य रूप से गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,000 करोड़ से), मृदा तथा जल संरक्षण (₹ 199 करोड़ से) तथा वृहत

सिंचाई (₹ 164 करोड़ से) से बढ़ने के कारण से वर्तमान वर्ष में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई। हालाँकि 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 11,233 करोड़ के बजट प्रावधान से अत्यंत कम था।

# 1.4.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आश्चित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम तथा नकद शेष भी शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ परिसम्पत्तियाँ					राइं न)				
		पुणदारिया			H		भारतन्यात्त	41	
		2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत			2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत
				समेकित	नि	धि			
क	आंतरिक ऋण	71,956.90	74,538.31	3.59	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	96,017.68	1,05,394.58	9.77
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,981.85	7,993.22	60.45	ब	ऋण एवं अग्रिम	24,177.23	24,348.48	0.71
आर्क	स्मिकता निधि	500.00	500.00	0.00					
लोक	लेखा								
क	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,194.40	1,001.19	-16.18	क	अग्रिम	19.66	19.67	0.05
ख	जमाएँ	24,331.45	23,609.29	-2.97	ख	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	आरक्षित निधियाँ	7,024.26	6,844.35	-2.56	ग	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	126.45	112.64		(नि	न्द शेष धीरित निधि निवेश सहित)	3,720.32	5,572.70	49.79
इ	उचंत एवं विविध	144.75	117.65	-18.72		ास्व लेखा में			
	से प्राप्तियों का ो आधिक्य	13,674.83	20,618.78	50.78	घाट	:I	-	-	-
	कुल	1,23,934.89	1,35,335.43	9.20		कुल	1,23,934.89	1,35,335.43	9.20

स्रोतः वित्त लेखें

# 1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय- राजस्व प्राप्तियां)	राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।  • जब सरकार को राजस्व घाटा होता है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है।  • राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूंजीगत परिसंपत्तियां के सृजन के लिए उस सीमा तक पूंजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया।  • इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेगा होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है।  • यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण
राजकोषीय घाटा/अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ +ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ जो पूंजीगत प्राप्तियाँ बनती हैं)}	विहितार्थ होगा।  यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग (एनडीसीआर) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के लिए विचारात्मक है।  • राजकोषीय घाटा, उधारियों को छोड़कर, सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है।  • ऋणेत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं है और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और विनिवेश/सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है।  • राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है।  सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, तािक उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।

# प्राथमिक घाटा/ अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटा-निवल ब्याज दायित्व)

राजकोषीय घाटे को ब्याज भ्गतान से घटाकर दर्शाता है।

- निवल ब्याज देन-दारियों में निवल घरेलू उधार पर सरकार द्वारा
   ब्याज भुगतान घटाकर ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं।
- सरकार की उधार आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक चालू व्यय के कारण उधार का अनुमान प्राप्त करने के लिए, हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता है।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित होना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को ऋण के स्टॉक में जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं को ऋण में डाल देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेता है, लेकिन कुछ बीस साल बाद करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान करने का फैसला कर सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, भावी पीढ़ियों पर "बोझ" ऋण के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार ओर उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते है। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढ़ाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तिवक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलु उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक क्शल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

# 1.5.1 राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

राज्य सरकार ने मध्यम अविध ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र स्तर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय

प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत प्रावधानों का अनुपालन

	अधिनियम में						
राजकोषीय मापदंड	निर्धारित	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
	राजकोषीय लक्ष्य						
	91-11	1,804	5,521	1,960	-3,114	6,944	
राजस्व घाटा	शून्य	✓	✓	✓	X	✓	
राजकोषीय घाटा	तीन प्रतिशत	11,933	6,629	8,035	14,911	2,604	
(स.रा.घ.उ. के	(2020-21 के लिए	(4.42)	(2.17)	(2.50)	(4.70)	(0.72)	
प्रतिशतता के रूप	5 प्रतिशत एवं	X	✓	<b>✓</b>	✓	✓	
<b>前</b> )	2021-22 के लिए						
71)	4 प्रतिशत)						
प्त.रा.घ.उ. से कुल	लक्ष्य	27.90	27.20	27.10	27.00	33.00	
उ बकाया ऋण का	वास्तविक	28.57	27.41	29.40	33.90#	30.57#	
अनुपात (प्रतिशत में)	पास्तावक	X	X	X	X	✓	

# यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैक टू बैक उधारी को शामिल नहीं करता है।

वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात 31.26 प्रतिशत है। इस प्रकार, कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्ति के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 2,484.41 करोड़ के जी.एस.टी. मुआवजे को छोड़कर स.रा.घ.उ. अनुपात (30.57 प्रतिशत) के लिए प्रभावी ऋण का निर्धारण किया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो किसी भी मापदंड के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 को छोड़कर, राज्य में 2017-18 से 2021-22 की अविध के दौरान राजस्व अधिशेष था। राजकोषीय घाटा भी 2018-19 से निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया ऋण का अनुपात 2020-21 तक चिंता का विषय था, क्योंकि यह झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.एस में निर्धारित मानदण्डों को पार कर गया था, जिसमें सुधार हुआ और चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य के नीचे रहा।

#### 1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी.एस. में 2021-22 के लिए किए गए अनुमानों के साथ 2021-22 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2021-22 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के	वास्तविक	परिवर्तन
		अनुसार प्रक्षेपण	(2021-22)	(प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	23,265	21,290	-8.49
2	गैर-कर राजस्व	13,500	10,031	-25.70
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	22,050	27,734	25.78
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	17,892	10,667	-40.38
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	76,707	69,722	-9.10
6	राजस्व व्यय	75,755	62,778	-17.13
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (5-6)	952	6,944	629.49
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-10,211	-2,604	77.19
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	33	30.57#	5.27
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.50	14.51	0.07

<sup># ₹ 2,484.41</sup> करोड़ जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैक टू बैक ऋण शामिल नहीं है।


जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, राज्य 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों के लिए जैसे राज्य के स्वयं कर तथा कर भिन्न राजस्व के लिए एम.टी.एफ.पी.एस में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

हालाँकि, मुख्य राजकोषीय मापदण्ड जैसे घाटे तथा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्तमान वर्ष के लिए आंकलन के अंतर्गत थे।

# 1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृतियाँ


जैसा कि चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है, राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था और जैसा कि इसके प्रमुख वित्तीय मानकों के संबंध में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित किया गया था। 2020-21 में ₹ 3,114 करोड़ के राजस्व घाटे को 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ के अधिशेष में बदल दिया गया। इसी तरह, राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में ₹ 14,911 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में घटकर ₹ 2,604 करोड़ हो गई, जो चालू वर्ष के दौरान उधार ली गई धनराशि पर राज्य की कम निर्भरता का संकेत था। प्राथमिक घाटा 2020-21 में ₹ 9,121 करोड़ से घटकर ₹ 3,682 करोड़ के आधिक्य के रूप में हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य के पास अपने वर्तमान निर्णय और वर्ष के दौरान आधारभूत

संरचना के निर्माण और विकासात्मक आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन था।




चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड का रूझान

चार्ट 1.5 पिछले पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का रूझान दिखाता है।



चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में रूझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.रा.घ.उ. में रूझान

जैसा कि चार्ट 1.6 में देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य की कुल बकाया देन-दारियों में आंतरिक ऋण का प्रमुख योगदान था, जिसके बाद लोक लेखा देनदारियों का स्थान था। यद्यपि इन वर्षों में भारत सरकार के द्वारा ऋण का योगदान बहुत कम था, जो जी.एस.टी तथा 50 वर्षीय ₹ 246 करोड़ का ब्याज रहित ऋण के कारण एक के बाद एक (बैक टू बैक) ऋण वर्ष 2019-20 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 7.05 से प्रतिशत हो गया।

# 1.6 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

#### 1.6.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकई पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति(+)/अत्योक्ति (-)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
		(₹ करोड़ में)	
2021-22 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	55.67	55.67	4.1.1
2021-22 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	136.49	136.49	2.5.2
2021-22 के दौरान राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमाएँ पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन		140.70	2.5.2
कुल	332.86	332.86	

स्रोतः वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष को ₹ 332.86 करोड़ अधिक बताया गया और राजकोषीय घाटा में ₹ 332.86 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 6,943.94 करोड़ और ₹ 2,604.21 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 6,611.08 करोड़ तथा ₹ 2,937.07 करोड़ रहा।

सभी अवलोकन एवं निष्कर्षों को राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2022) हैं।

तालिका 1.9: वर्ष 2021-22 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	शून्य	0.26	0.26	1.91	1.82
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	4.00	2.81	2.81	-0.72	-0.81
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	32.6	33.0	-	30.57#	लागू नहीं

# ₹ 2,484.41 करोड़ जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैक टू बैक ऋण शामिल नहीं है।

2021-22 के दौरान, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त किया, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।